न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री / टीए / 3240 / 2004 / बाडमेर

श्रीमती अगरी पत्नी हरजीराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम निम्बला नाडा (नागदडा) तहसील शिव जिला बाडमेर।

...अपीलार्थी

बनाम

1– श्रीमती मूमल पत्नी स्व0 रामाराम
2– केसराराम पुत्र नाथाराम
3– मंगलाराम पुत्र नाथाराम
4– छगनाराम पुत्र नाथाराम
5– तारा पत्नी स्व0 नाथाराम
समस्त जाति कुम्हार निवासी ग्राम निम्बला नाडा तहसील शिव जिला बाडमेर।

...प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ

श्री मोडूदान देथा, सदस्य

श्री इन्द्रसिंह राव, सदस्य

उपस्थितः–

श्री योगेन्द्रसिंह, अभिभाषक अपीलार्थी की ओर से ।

श्री राजेश गौतम, अभिभाषक, प्रत्यर्थी की ओर से ।

————————

निर्णय

दिनांकः 29–6–18

यह द्वितीय अपील अपीलार्थी द्वारा अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20–5–2004 जो की न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर द्वारा अपील संख्या 32 / 2004 में पारित किया गया के प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), शिव जिला बाडमेर द्वारा वाद संख्या 43 / 2001 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 8–8–2003 को बहाल रखा गया।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादिया / रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण / वर्तमान प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 तथा समदा बेवा हरजी बाबत विवादित आराजी खसरा संख्या 140 रकबा 61 बीघा, खसरा नम्बर 183 रकबा 109 बीघा 10 बिस्वा एवं खसरा संख्या 182 रकबा 3 बिस्वा कुल रकबा 170 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम नागदड़ा के न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिव के न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी

वादिया/ प्रत्यर्थी के पति की पैतृक सम्पति है तथा उसके पति की मृत्यु के पश्चात वादिया उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रही है परन्तु हरजी पुत्र नाथा अपने आपको रामाराम का पुत्र बताते हुए विवादित आराजी बाबत अपना नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करवा लिया जिसे दुरूस्त किया जाकर वादिया/ प्रत्यर्थी संख्या 1 को विवादित आराजी के आधे हिस्से का खातेदार घोषित कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। वाद में विचारण न्यायालय द्वारा 7 तनकीयात कायम की गई तथा समस्त तनकियात वादिया/ प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में सिद्ध होने से वाद दिनांक 8–8–2003 को वादिया के पक्ष में डिक्री कर दिया जिससे व्यथित होकर अगरी बेवा हरजीराम ने प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर के समक्ष प्रस्तुत की जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20–5–2004 से निरस्त कर दिया। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20–5–2004 के विरूद्ध यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई है।

3– हमनें पक्षकारान के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी ।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 5 बाबत हरजी की बेवा अगरी (वर्तमान अपीलार्थी) को पक्षकार नहीं बनाये जाने से संबंधित थी, जिससे वाद में पार्टी नहीं बनाए जाने से उक्त वाद संधारण योग्य नही होने से वाद निरस्त किये जाने योग्य था। उक्त त्रुटि के बावजूद भी वाद वादिया डिक्री करने में विचारण न्यायालय द्वारा त्रुटि कारित की गई है। रामा श्री हीरा का पुत्र है। सजरे में समदा नामक जिस महिला का उल्लेख किया गया है वह परिवार की सदस्या नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध सजरे के अनुसार हरजी, रामा के गोद चला गया जो उसके दादा का भाई है तथा रामा की पत्नी मूमल है। समदा नामक महिला हरजी की पत्नी नहीं है जिसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर मूमल का दावा डिक्री कर दिया गया जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी, बाड़मेर के न्यायालय में पेश की गई, जो दिनांक 20–05–2004 को खारिज कर दी गई है। अधीनस्थ अपील न्यायालय द्वारा रेकार्ड एवं तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए निर्णय पारित किया गया है, जिसके कारण उक्त निर्णय एवं डिक्री निरस्त किए जाने योग्य है। विधिक बिन्दुओं के संबंध में उन्होंने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने 7 तनकियात कायम की व तनकी सं0 4 व 5 अपीलार्थी से संबंधित है, जिनके संबंध में किसी प्रकार का रेकार्ड एवं साक्ष्य पेश नहीं हुआ। जमाबंदी संवत् 2053–56 में केसरा, छगना व मंगला का नाम अंकित है। उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय

न्यायालय को तनकी संख्या 5 के बिन्दु पर ही अपना निर्णय देते हुए प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना चाहिए था परन्तु उनके द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील कोखारिज की जाकर त्रुटि कारित की गई है। विद्वान अभिभाषक का यह भी कथन है कि अपीलार्थी, विचारण न्यायालय के समक्ष आवश्यक पक्षकार थी जिसे पक्षकार बनाये बिना वाद प्रस्तुत कर दिया गया जो संधारण योग्य नहीं था फिर भी दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं देकर विधिक त्रुटि कारित की है। अंत में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने द्वितीय अपील स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20–05–2004 निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

5– योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा जारी समदा के नोटिस की तामील पर अन्यंत्र रहना अंकित है जो जाहिर करता है कि समदा व अगरी एक ही महिला है। विचारण न्यायालय व अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया व दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है, यहां रामा की विरासत तय होनी थी। हरजी रामा का पुत्र नहीं होकर नाथा का पुत्र है यह साक्ष्य से साबित था। साथ ही अगरी ने प्रथम अपीलीय न्यायालय व यहां ऐसा कोई अभिलेख पेश नही किया है जो उसे अभिलेखीय खातेदार प्रकट करता है। तर्क के लिए नुमाईशी तौर पर रेकार्ड में नाम आना महत्व नहीं रखता है, टिनेन्सी का स्त्रोत सही होना ही महत्व रखता है। रामा की वारिस मूमल का ही होना साबित था। ऐसी स्थिति में अपील खारिज किये जाने योग्य है।

6– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व पारित निर्णय का अवलोकन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलार्थी को प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए निर्णय प्रदान किए गए है। राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर ने विधिक स्थिति का विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए विस्तृत निर्णय पारित किया गया है, जिसमें समस्त अभिलेख एवं तथ्यों का उल्लेख है। रामा की वारिस कौन है, यह तय किया जाना है। हरजी रामा का पुत्र होकर वारिस है तथा मूमल, रामा की पत्नी नहीं है ऐसा पत्रावली से प्रकट नही होता है। वादिया रामा की पत्नी की रूप में साक्षी द्वारा प्रकट की गई है। अपीलार्थी यह साबित नहीं कर पाई है कि हरजी रामा का पुत्र था, ऐसी स्थिति में जब रामा की विरासतन काश्तकारी का बिन्दु निर्णित होना था और अपीलार्थी, रामा का स्वयं को काश्तकारी का वारिस साबित नहीं कर पाई तो अपील अपीलार्थी अस्वीकार कर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने ऐसी कोई त्रुटि नहीं की, जिससे दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के

समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप किया जा सके। ऐसी स्थिति में हम राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर द्वारा पारित निर्णय में

द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार नहीं पाते है। अतः यह द्वितीय अपील सारहीन होने के कारण इसे हम खारिज किया जाना उचित समझते है।

8 फलतः यह द्वितीय अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20—05—2004 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य